


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / सस्था / सी-5 / स्थाईकरण / आक्षेप / 18

प्रधानाचार्य
राउमावि गुढाबांध
बूंदी

दिनांक:- 18-1-19




विषय:- दिनेश कुमार तिलकर व्याख्याता चित्रकला स्थाईकरण प्रकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित दिनेश कुमार तिलकर व्याख्याता चित्रकला स्थाईकरण प्रकरण मूल ही लौटाकर लेख है कि प्रकरण में निम्नांकित आक्षेपों की पूर्ति कर प्रकरण भिजवायें।

- 01 वित्त विभाग के परिपत्र सं० F-15 (1) FD/(Rules)/2017 दिनांक 30.10.17 में 7वां वेतनमान में अनुसूची 4 नियम 16 के नोट संख्या 4 अनुसार केलेण्डर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर) के मध्य कार्यग्रहण करने पर कम्पलीट माह का पूर्ण कलेण्डर वर्ष में देय अवकाशों के अनुपातिक देय होगा अतः वर्ष 2017 में 15 से अधिक लिये गये आकस्मिक अवकाशों का अवैतनिक अवकाश प्रकरण तैयार कर मय प्रार्थना पत्र, मूल रोग अरोग्य प्रमाणपत्र दस्तावेजात प्रेषित कर अवैतनिक अवकाश स्वीकृति हेतु भिजवायें साथ ही यदि कार्मिक के खाते में पूर्व में अर्जित उपार्जित/ परिवर्तित अवकाश है तो स्वयं के स्तर पर स्वीकृत कर, स्वीकृति प्रति एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज की प्रति संलग्न कर भिजवायें। तत्पश्चात स्थाईकरण की कार्यवाही करावें।
- 02 कार्मिक को अवकाश अवधि का वेतन आहरण नहीं करने का प्रमाण पत्र संलग्न करावें यदि कार्मिक को अवकाश अवधि का वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली कर राजकोष में जमा कराने के साथ चालान प्रति एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज की प्रति संलग्न करावें।

संलग्न:-मूल-प्रकरण


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / सस्था / सी-5 / स्थाईकरण / आक्षेप / 18

दिनांक 18 / 1 / 2019


लिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा / मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी.....

संबंधित कार्मिक

संक्षिप्त पत्रावली

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर